भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2440
दिनांक 10 दिसंबर, 2024/ 19 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

आंतकवादी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति

†2440. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त भारतीय अपराधियों और व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के लिए दूसरे देशों से किए गए अनुरोध का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किए गए ऐसे वांछित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त आशय के अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की और ऐसी दशा में, इस मामले में क्या कदम उठाया गया; और
(घ) क्या अमेरिकी सरकार से प्रत्यर्पण के लिए कोई अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशों से प्रत्यर्पण के कुल 178 अनुरोध किए गए हैं, जिसमें देश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भगोड़े व्यक्तियों के प्रत्यर्पण अनुरोध भी शामिल हैं ।

(ख): पिछले पांच वर्षों (01.01.2019 से) के दौरान कुल 23 व्यक्तियों का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण किया गया है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 2440, दिनांक 10.12.2024

(ग): भारत सरकार भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है। अब तक, भारत ने 48 देशों/क्षेत्रों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था मौजूद है। संबंधित सूची अनुलग्नक "क" के तौर पर संलग्न है। सरकार की नीति है कि वह अधिक से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों को संपन्न करे ताकि भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध यथोचित क़ानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके।

(घ): विदेश मंत्रालय से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार, भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए भारत द्वारा किए गए 65 अनुरोध अमेरिकी प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं।

*****

अनुलग्नक "क"

भारत की निम्नलिखित देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ हैं –

क्र.स.	देश	क्र.स.	देश
1.	अफगानिस्तान (2016)	25.	मेक्सिको (2007)
2.	ऑस्ट्रेलिया (2008)	26.	मंगोलिया (2001}
3.	अजरबैजान (2013)	27.	नेपाल (1953)
4.	बहरीन (2004)	28.	नीदरलैंड्स (1898)
5.	बांग्लादेश (2013)	29.	ओमान (2004)
6.	बेलारूस (2007)	30.	फिलीपींस (2004)
7.	बेल्जियम (1901)	31.	पोलैंड (2003)
8.	भूटान (1996)	32.	पुर्तगाल (2007)
9.	ब्राजील (2008)	33.	रूस (1998)
10.	बुल्गारिया (2003)	34.	सऊदी अरब (2010)
11.	कनाडा (1987)	35.	दक्षिण अफ्रीका (2003)
12.	चिली (1897)	36.	दक्षिण कोरिया (2004)
13.	मिश्र (2008)	37.	स्पेन (2002)
14.	फ्रांस (2003)	38.	स्विट्जरलैंड (1880)
15.	जर्मनी (2001)	39.	ताजिकिस्तान (2003)
16.	हांगकांग (1997)	40.	थाईलैंड (2013)
17.	इंडोनेशिया (2011)	41.	ट्यूनीशिया (2000)
18.	ईरान (2008)	42.	तुर्की (2001)
19.	इज़राइल (2012)	43.	यूएई (1999)
20.	कुवैत (2004)	44.	यूके (1992)
21.	लिथुआनिया (2017)	45.	यूक्रेन (2002)
22.	मलेशिया (2010)	46.	यूएसए (1997)
23.	मलावी (2018)	47.	उज्बेकिस्तान (2000)
24.	मॉरीशस (2003)	48.	वियतनाम (2011)

निम्नलिखित देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था –

क्र.स.	देश	क्र.स.	देश
1.	एंटीगुआ और बारबुडा (2001)	7.	पेरू (2011)
2.	आर्मेनिया (2019)	8.	सिंगापुर (1972)
3.	क्रोएशिया* (2011)	9.	श्रीलंका (1978)
4.	फिजी (1979)	10.	स्वीडन (1963)
5.	इटली* (2003)	11.	तंजानिया (1966)
6.	पापुआ न्यू गिनी (1978)	12.	न्यूज़ीलैंड

* इटली और क्रोएशिया के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्थाएं नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार से संबंधित अपराधों तक ही सीमित हैं, क्योंकि भारत, इटली और क्रोएशिया नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध 1988 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकार हैं।

****